मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा ग्राम–अमियां तहसील व जिला–नैनीताल में गौला नदी से रेता, बजरी, बोल्डर खनन/चुगान (क्षेत्रफल 2.75 है0) की पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 25.03.2025 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 ग्राम–अमियां तहसील व जिला–नैनीताल में गौला नदी से रेता, बजरी, बोल्डर खनन/चुगान (क्षेत्रफल 2.75 है0) की पर्यावरण स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र टाईम्स ऑफ इण्डिया (दिल्ली संस्करण) तथा अमर उजाला (उत्तराखण्ड संस्करण) में दि0 18.02.2025 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतियॉ जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल, जिला पंचायत कार्यालय नैनीताल, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र हल्द्वानी, नगर निगम हल्द्वानी तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तद्क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में दिनांक 25.03.2025 को प्रातः 11:00 बजे परियोजना स्थल ग्राम–अमिया तहसील व जिला–नैनीताल के पास लोकसुनवाई आयोजित कि गयी। लोकसुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम हरीश चन्द्र जोशी सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावो तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल वरूणा अग्रवाल तथा अन्य उपस्थित अधिकारीगणो/कर्मचारियों का स्वागत किया तथा परियोजना के संबंध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदया से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में मैसर्स ईको पर्यावरण लैबोरेटरीज एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा0लि0 के पर्यावरण सलाहकार श्री भुवन जोशी द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया तथा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना ई0आ0ए0 अधिसूचना के अनुसार मुख्यतः बी1 श्रेणी के प्रोजेक्ट है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में प्रोजेक्ट बी1 श्रेणी में एस0ई0आई0ए0ए0 उत्तराखण्ड द्वारा टी0ओ0आर0 जारी किया गया है। खनन क्षेत्र में खनन/चुगान कार्य सतह से अधिकतम 3 मीटर की गहराई अथवा भू–जल स्तर जो भी कम हो तक किया जायेगा। खनन पट्टा स्वीकृत होने के उपरान्त स्वीकृति संबंधी शासनादेश एवं पट्टाभिलेख की समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा। खनन योजना की शर्तो के अनुसार पट्टाधारक श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करेगा। परियोजना में 31 मानव श्रम की आवश्यकता है तथा परियोजना से स्थानीय लोगो को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खनन कार्य ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से किया जायेगा। प्रस्तावित खनन परियोजना में समावित पर्यावरणीय पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है। परियोजना स्थल तथा परिक्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण,भूगर्भीय जल मृदा तथा ध्वनि स्तर का अनुश्रवण कर नमूने एकत्रण किये गये है। विश्लेषण आख्यायें परिवेशीय वायु गुणवत्ता राष्टीय वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर है तथा भू–जल नमूने की गुणवत्ता

भारतीय मानक IS:10500 द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप है। प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण ध्वनि का स्तर दिन और रात के समय हेतु निर्धारित सीमा में है। स्वास्थ्य पर पडने वाले प्रभावों को कम करने के लिए श्रमिकों और आस–पास के लोगों को स्वास्थ सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी। प्रस्तावित परियोजना के प्रारम्भ होने से आस–पास के क्षेत्रों में भौतिक बुनियादी ढांचें को बढावा मिलेगा। कॉपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (सी0ई0आर0) के अन्तर्गत स्कूलों की मरम्मत, मेडिकल की सुविधा के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधा, चिकित्सा शिविर प्रदूषण निगरानी, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों, पर्यावरण जागरूकता गतिविधियॉ, पीने के पानी की सुविधा, शौचालय निर्माण आदि का प्राविधान परियोजना में किया गया है। खनन क्षेत्र में कोई विस्थापन शामिल नहीं है, क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है तथा बताया गया कि प्रस्तावित खनन कार्य निर्धारित नियमों एवं शर्तो के अनुसार किया जायेगा।

तद्क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट महोदया द्वारा पृच्छा की गयी कि लोक सुनवाई स्थल पर गांव के कितने आम–जनमानश उपस्थित है, जिनका खनन से कोई सरोकार नहीं है। इसी अनुक्रम में गांव के उपस्थित लोगो द्वारा हाथ उठाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी गयी। संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन से सरोकार रखने वाले लोग अपना व्यक्तव्य निष्पक्ष रूप से नहीं रख सकते है। यह क्षेत्र खनन कार्य हेतु जाना जाता है तथा क्षेत्र की खनन से संबंधित शिकायतें प्राप्त होते रहती है। आप लोगों कर्तव्य है कि अगले 05 वर्षो में लगभग 2.75 है0 खनन क्षेत्र में फर्म द्वारा तीन मीटर गहराई तक खनन कार्य किया जायेगा। खनन कार्य करने से आस–पास के लोग मानसून की स्थिति के बारे में भली भाति अवगत होंगे, यह भी जानते होंगे कि यहा पर कितना मलवा एकत्रित होता है तथा कितना आप लोगों को बाढ़ से प्रभावित होना पडता है। खनन की आवश्यकता तथा अवैध खनन या गलत ढंग से खनन कार्य किये जाने से होने वाले नुकसान से भी आप भली–भाति परिचित होंगे। गांव को जोडने वाले सम्पर्क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने का कारण भी भारी वाहनों की आवाजाही हो सकती है। आपके क्या सुझाव है कि अगले पॉच वर्षो में खनन कार्य से क्या–क्या नुकसान गॉव वालों को हो सकते है। इसके संबंध में आपत्तियॉ दर्ज करा सकते है। आपका इस लोक सुनवाई में चुप रहना या कोई सुझाव न देना आपके नुकसान में है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त रेता बजरी, बोल्डर खनन/चुगान परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से उनके सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तिया टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है:–

1. श्री मोहन चन्द्र पाण्डे ग्राम–अमीयां, तहसील व जिला–नैनीताल–श्री पाण्डे द्वारा कहा गया कि खनन कार्य से गांव के किसी और लोगों को दिक्कत हो न हो लेकिन मेरा गांव व तोक इस समस्या लगभग 12 वर्षो से झेल रहा है। पूर्व की शिकायतों में भी कोई कार्यवाही नही हुई है, हमारे घर से गौला नदी की दूरी लगभग 10–12 फिट की है। अगर वहा पर खनन कार्य होता है तो नदी का प्रवाह क्षेत्र घरों की ओर आने की सम्भावना है, बाढ़ का पानी गांव के ओर आने से खतरा बना रहता है। खनन कार्य नियंत्रित रूप से होना चाहियें। हल्द्वानी शहर से हमारे गांव की दूरी लगभग 17 कि0मी0 है, लेकिन गांव का सम्पर्क मार्ग विगत कई वर्षो से क्षतिग्रस्त है, खनन कार्य में लगे वाहनों की आवाजाही से हमेशा धूल की समस्या बनी रहती है, खनन कार्य निश्चित समयान्तराल में होना चाहियें। गांव में रात को 08:00 बेज तक खनन वाहनों की आवाजाही होती रहती है, खनन कार्य में लगे वाहनों को खनन सामग्री ढक कर ले जाया जाना चाहियें। क्षेत्र में ओवर लोड़ वाहनों के संचालन से खतरे की संभावना बनी रहती है। आवादी क्षेत्र से खनन एक निश्चित दूरी में

किया जाना चाहियें, तद्क्रम में सयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा कहा गया कि नदी के प्रवाह पहाड़ की ओर से नीचे की ओर हो जाता है। अगर पट्टाधारक द्वारा पहाडों की ओर खनन कार्य किया जाता है तो उसके बचाव हेतु प्रस्तावित परियोजना में क्या प्राविधान किये गये व खनन कार्य होने के बाद नदी का बहाव किसी की नाप भूमि की ओर या गांव की ओर आने से भूमि कटाव की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिये। खनन योजना में दूरियो का उल्लेख किया जाता है, लेकिन खनन पट्टाधारकों द्वारा खनन क्षेत्र में निर्धारित दूरियों का अनुपालन नहीं किया जाता है तद्पश्चात खनन प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री विनय कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि नदी से निर्धारित दूरी को छोडकर ही खनन कार्य किये जाने का प्राविधान प्रस्तावित खनन योजना में किया गया है। खनन क्षेत्र के आस–पास बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल के निर्माण का प्राविधान भी किया गया है। इसी अनुक्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा कहा गया कि अगर आपके खनन कार्य से भूमि का कटाव होता है तो उसका मुवावजा भी दिया जाये तथा आने वाले वर्षो में भू–कटाव न हो उसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिये तथा पृच्छा की गयी कि वर्तमान में कार्यदायी संस्था द्वारा गांव के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। रोड बनने के बाद अगले पॉच वर्षो के अन्दर क्षतिग्रस्त होने की दशा में जिम्मेदारी किसकी होगी। खनन जे0सी0बी0/पोक लेन्ड का प्रयोग व स्थानीय लोगों का रोजगार तथा रास्ते में धूल, मिट्टी की रोक थाम हेतु प्रस्तावित परियोजना में क्या प्रस्ताव है।

तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना में सम्पर्क मार्ग व रोड़ के रख रखाव का प्रावधान किया गया है। जे0सी0बी0/पोक लेन्डत्र द्वारा खनन का प्रयोग खनन परियोजना में नहीं है तथा प्रस्तावित परियोजना में 20 से 30 लोगों के रोजगार का प्राविधान किया गया है। तद्संबंध में संयुक्त मजिस्ट्रेट महोदया द्वारा कहा गया कि ग्राम प्रधान द्वारा लिखित रूप से स्थानीय लोगों द्वारा कार्य न किये जाने पर बाहर के लोगों को रोजगार प्रदान किया जाना चाहियें। प्रति वर्ष गांव में दो चिकित्सा शिविर के आयोजन की व्यवस्था की जाने चाहियें। जिसमें सम्पूर्ण जॉच तथा विशेष कर फेफडों की जॉच अनिवार्य रूप से किया जाना चाहियें। राष्ट्रीय टी0बी मिशन से समन्वय स्थापित करते हुये अगर क्षेत्र में किसी को टी0बी0 या फेफडो से संबंधित समस्या है तो उसके उपचार हेतु सहायता प्रदान की जानी चाहियें तथा पर्यावरण सलाहकार से कहा गया कि आप लोगों को जन सुनवाई में उपस्थित लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान के संबंध में अवगत कराना चाहिये। तद्पश्चात पर्यावरण सलाहकार द्वारा वायु प्रदूषण के संबंध में उपस्थित जनमानस को अवगत कराया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा सुझाव दिया कि मानसून सत्र के बाद खनन कार्य प्रारम्भ करने से पहले गांव में एक बैठक की जाये अगर पिछले खनन सत्र से कोई नुकसान हुआ है तो आने वाले वर्षो में फीडबैक का समावेश किया जाना चाहिये। तद्पश्चात परियोजना के पर्यावरण सलाहकार बताया गया कि स्थानीय पंचायत से सुझाव प्राप्त करते हुये मानसून सत्र के बाद खनन कार्य किया जायेगा। अग्रेतर श्री पाण्डे द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य होने से जंगली जानवर गांव की ओर आ रहे है, जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु गांव में सोलर लाईट लगवाये जाने का प्राविधान किया जाना चाहिये। तद्पश्चात पट्टाधारक प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि गांव में सोलर लाईट लगवाये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

2. श्री रोजश तिवारी ग्राम–अमीयां, तहसील व जिला–नैनीताल– श्री तिवारी द्वारा कहा गया कि खनन कार्य में लगे हुये मजदूरों के लिये अलग से शौचालयों की व्यवस्था की जानी चाहियें। खनन कार्य निर्धारित समयानुसार किया जाना चाहिये तथा स्कूल समय में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित होनी चाहियें। तद्क्रम में

परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना में शौचालयों की व्यवस्था का प्रावधिान किया गया है।

तद्क्रम में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उ0प्र0नि0बोर्ड द्वारा पुनः अन्य उपस्थित लोगो से सुझाव व मौखिक/लिखित में देने को कहा गया। अंत में अन्य टीका टिप्पणी सुझाव प्राप्त न होने पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की विडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

संलग्नक–यथोपरि।

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
उ0प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी।

(वरूणा अग्रवाल)
संयुक्त मजिस्ट्रेट
जिला–नैनीताल

मैं॰ कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल॰ एल॰ पी॰ द्वारा ग्राम- आमियाँ तहसील व जनपद-नैनीताल में रेत, बजरी और बोल्डर खनन परियोजना (क्षेत्र॰- 2.75 है॰) की ई॰ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण :—

सुनवाई स्थल :- निकट परियोजना स्थल,
समय एवं तिथि :- दिनांक 25 मार्च 2025

क्र॰सं॰	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	करुणा अग्रवाल	संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल	[signature]
2.	हरीश चन्द्र जोशी	सहा॰ वैज्ञा॰ अधिकारी उ॰प्र॰नि॰ बोर्ड हल्द्वानी	[signature]
3.	भुवन जोशी	पर्यावरण सलाहकार	[signature]
4.	चन्द्रवल्लभ जोशी	अनु॰ सहायक उ॰प्र॰नि॰ बोर्ड हल्द्वानी	[signature]
5.	चन्द्रा नाथ गोस्वामी	राजस्व उपनिरीक्षक	[signature]
6.	विवेक कुमार	कैलाश मिनरल्स रिवर बैड	[signature]
7.	प्रदीप रावत	कैलाश रिवर बैड मिनरल्स	[signature]
8.	विनय कुमार	कैलाश मिनरल्स रिवर बैड	[signature]
9.	लक्ष्मण सिंह महरा	अमियाँ	[signature]
10.	पंकज सिंह महरा	आमियाँ	[signature]
11.	प्रेम सिंह महरा	अमियाँ	[signature]
12.	हेम चन्द्र पाण्डे	अमियाँ (लोक जन)	[signature]
13.	मोहन चन्द्र पाण्डे	" अमिया	Mohan
14.	राहुल	" अमिया	Rahul
15.	राजेश	अमियाँ	[signature]
16.	आशीष	अमियाँ	[signature]
17.	राजू पान्डे	अमृतपुर	राजू पाडे
18.	पंकज जोशी	देहरादून	Pankaj Joshi
19.	रवीन्द्र मिश्रा	देहरादून	[signature]
20.	अजय	अमियाँ	अजय
21.	कुशलसिंह	अमियाँ	कुशलसिंह
22.	धीरज	आमिया	[signature]
23.	रविन्द्र	आमिया	रविन्द्र
24.	सुरेन्द्र	अमियाँ	[signature]
25.		अमियाँ	[signature]

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
6	शिवदत्त पाण्डे	अमियाँ	Shivdutt Pandey
7	[illegible] चन्द्र	आमखमा / आमियाँ	[illegible]
	मनोज	अमिया	मनोज
8	गणेशचन्द्र		गणेशचन्द्र
	नीरज जोशी	अमृतपुर	Neeraj
9			
30	Yashpal Arya	Aniya	Yashpal
31	मोहनसिंह		मोहनसिंह
2-	हरेन्द्र सिंह	आमिया	[illegible]

जन सुनवाई
खनन परियोजना- मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एलएलपी
ग्राम- अमिया, तहसील एवं जिला नैनीताल
रेता, बजरी, बोल्डर खनन/चुगान, गौला नदी (क्षेत्रफल 2.75 है0)
सुनवाई स्थल- परियोजना स्थल
समय एवं तिथि- प्रातः 11:00 बजे, दिनांक- 25 मार्च, 2025
पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक- क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कॉलोनी- हल्द्वानी (नैनीताल) 263139
परियोजना प्रस्तावक- कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एलएलपी पर्यावरण सलाहकार- ईको पर्यावरण लैबोरेटरीज एण्ड कंसलटेन्ट्स प्रा0 लि0

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड